

21.02.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
  
अध्यक्ष कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़